मसौदा

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए आदर्श तथा मानक अंतःसंयोजन करार

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहित :

प्रथम पक्ष, ______________________ जिनका पंजीकृत कार्यालय ____________________ में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् ''एमएसओ'' कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

और

द्वितीय पक्ष, ______________________ जिनका पंजीकृत कार्यालय ____________________ में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् ''एलसीओ'' कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच ________________ दिन ______ माह ______ वर्ष ______201______ को निष्पादित किया गया।

एमएसओ तथा एलसीओ को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा तथा समग्र रूप से ''पक्ष(क्षों)'' कहा जाएगा।

जबकि

(क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित ____________ क्षेत्र में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए ____________ दिनांक ____________ का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।

(ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत ____________ (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए .

____________ मुख्य डाकघर [मुख्य डाकघर का नाम] में दिनांक ____________ को पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(ग) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र ____________ है [उस क्षेत्र(त्रों)/शहरों (रों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षए किए जा रहे हैं।]

(घ) दोनों पक्ष, देश में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं।

अब इसलिए, उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:–

1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

2. करार की शर्तें

2.1 करार, ________________ (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा ____________ (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. करार को समाप्त करना

3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगा:–

(i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीस (30) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय–सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया गया हो; अथवा

(ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा

(iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय–समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।

3.2 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.3 एलसीओ द्वारा अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.4 यदि किसी कारणवश, एमएसओ टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

3.5 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करता है तो, वह इस प्रकार सेवा बंद करने के कम से कम 90 दिन पूर्व एमएसओ को लिखित नोटिस देगा।

4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभावः

4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।

4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के पंद्रह (15) दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा।

4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के पंद्रह (15) दिनों के अंदर जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपस्करों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।

4.4 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता

है तो चूककर्ता पक्ष इसके संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर सहित दो प्रतिशत की दर पर परिकल्पित साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा।

5.2 इस करार के पक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के खण्ड 10 में अंतर्विष्ट हैं।

5.3 इस करार के खण्ड–10 में उल्लिखित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित खण्ड–12 में उल्लेख किया गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्तें कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।

6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।

6.3 एमएसओ, सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को विनिर्दिष्ट करेगा।

6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाईन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।

7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्षम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड–एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।

8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।

8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।

8.4 एमएसओ, पूर्व–सक्रिय एसटीबी का संवितरण नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।

8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।

8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।

8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्ही नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

8.10 एमएसओ अपने नेटवर्क तथा एलसीओ के नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 में यथा परिकिल्पत, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त आवेदन प्ररूप को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।

9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्यौरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9.5 एलसीओ :–

(i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।

(iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने के उपकरण, नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

(iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेरबदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुर्नस्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।

(v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकार्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यवाहियां करेगा।

(vi) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुर्नस्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपकरण(णों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरूद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्यवाहियां करेगा।

9.6 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।

9.7 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुर्नस्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।

9.8 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अतिउलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

9.9 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक एक्सेस उपलब्ध करायेगा।

9.10 एलसीओ, एमसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 में यथा परिकिल्पत, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

10. एमएसओ तथा एलसीओ के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वः

क्रम सं.	कर्तव्य	पक्षों द्वारा आपस में यथा सहमत, एमएसओ तथा एलसीओ के उत्तरदायित्व– तदनुसार सैल भरिए	टैरिफ आदेश में विहित उपयोग की जा रही राजस्व सहभागिता व्यवस्था के आधार पर हस्ताक्षरित करार के संबंध में उत्तरदायित्व	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सब्सक्राइबर द्वारा सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु योजनाओं का प्रकाशन तथा तत्संबंधी वारंटी/मरम्मत की नीति		एमएसओ	एमएसओ ऐसी प्रकाशित की गई योजनाओं की प्रतियों की एलसीओ को आपूर्ति करेगा।
2.	सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट आवेदनों के प्ररूप का निर्धारण करना ताकिः– (i) केबल टेलीविजन सेवाओं हेतु कनेक्शन प्राप्त किया जा सके, सेवा बंद की जा सके, पुनः कनेक्शन प्राप्त किया जा सके, कनेक्शन को अन्यत्र ले जाया जा सके तथा शिफ्टिंग की जा सके; (ii) एसटीबी को प्राप्त तथा वापस किया जा सके।			एमएसओ, निर्धारित किये गये प्ररूप को आवेदन प्ररूप के रूप में अंगीकार करेगा तथा एलसीओ को आवेदन प्ररूप की आपूर्ति करेगा।
3.	पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी) का प्रकाशन			एमएसओ, एमओपी की प्रतियों की आपूर्ति एलसीओ को करेगा ताकि इन्हें आगे सब्सक्राइबर को प्रदान किया जा सके।
4.	उपभोक्ता चार्टर का प्रकाशन			एमएसओ, उपभोक्ता चार्टर की प्रतियों को एलसीओ को आपूर्ति करेगा ताकि उन्हें कार्यालय में प्रदर्शित

				किया जा सके।
5.	वेबसाइटों की स्थापना करना, जिनमें सेवा से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट हो, शिकायत केन्द्र से संबंधित ब्यौरा, शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायत निगरानी प्रणाली, नागरिक चार्टर, नोडल अधिकारी आदि से जुड़ी जानकारी अंतर्विष्ट हो।		एमएसओ	
6.	(क) निम्न हेतु शिकायत केन्द्र की स्थापना करना :– (i) सब्सक्राइबर के सेवा अनुरोधों का समाधान करना, (ii) सब्सक्राइबर की शिकायतों का निपटान (ख) वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना। (ग) निशुल्क उपभोक्ता देखभाल नम्बर उपलब्ध कराना तथा उसका प्रचार। (घ) उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई सभी शिकायतों का शिकायत निवारण विनियम में यथा उपबंध रखरखाव करना।		एमएसओ	एमएसओ, एलसीओ को शिकायत केन्द्र का ब्यौरा उपलब्ध करायेगा ताकि सब्सक्राइबर को आगे उसकी जानकारी प्रदान की जा सके।
7.	सेवा में व्यवधान के कारण सब्सक्राइबर को छूट तथा कटौती प्रणाली को विनिर्दिष्ट करना तथा ऐसी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।		एमएसओ	एमएसओ, एलसीओ को ऐसी योजना का ब्यौरा उपलब्ध करायेगा ताकि सब्सक्राइबर को आगे इसकी जानकारी प्रदान की जा सके।
8.	(क) सब्सक्राइबर को एसटीबी प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु जानकारी उपलब्ध		एलसीओ	प्रत्येक आवेदन प्राप्त होने के एक दिन के अंदर एलसीओ,

	कराना तथा तत्सबंधी लागू वारंटी/मरम्मत की नीति के बारे में जानकारी देना। (ख) आवेदकों/सब्सक्राइबर को एमओपी सहित आवेदन प्ररूप उपलब्ध कराना; और (ग) आवेदकों/सब्सक्राइबर से निम्न हेतु आवेदन प्ररूप प्राप्त करना :– (i) केबल टेलीविजन सेवाओं के कनेक्शन, पुनर्कनेक्शन, अतंरण तथा शिफ्टिंग; (ii) सेट टॉप बॉक्स को प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु; (घ) आवेदन प्ररूप की नकली प्रति को आवेदन की प्राप्ति की पावती स्वरूप आवेदक/सब्सक्राइबर को वापस करना। (ड.) आवेदन प्राप्त होने के 02 (दो) दिनों के अंदर आवेदन प्ररूप में कमियों और त्रुटियों के संबंध में आवेदक को लिखित में जानकारी देना। (च) जहां आवेदक द्वारा कतिपय सेवाओं के संबंध में अनुरोध किया गया हो तथा कनेक्शन उपलब्ध कराना, पुनर्कनेक्शन उपलब्ध कराना, सेवा को अन्यत्र शिफ्ट करना अथवा सेट टॉप बॉक्स को अन्य स्थान पर ले जाना तकनीकी तथा प्रचालनात्मक रूप से व्यवहारिक न हो तो आवेदक को तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक अव्यवहार्यता के बारे में आवेदन किये जाने के दो दिनों के भीतर			सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।

	जानकारी देना।			
9.	आवेदक हेतु विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी करना		एलसीओ	एसएमएस से यूआईएन का सृजन किया जायेगा।
10.	सब्सक्राइबर के भवन में एसटीबी की संस्थापना तथा एसएमएस द्वारा उसे सक्रिय किया जाना		एलसीओ	
11.	एसटीबी की संस्थापना तथा सक्रिय किए जाने में विलंब हेतु सब्सक्राइबर को छूट प्रदान करना		एमएसओ	उन मामलों में जहां एलसीओ के कारण विलम्ब हुआ हो, ऐसे मामलों में एमएसओ, एलसीओ से छूट की राशि की वसूली कर सकता है।
12.	केबल सेवा को बंद करने अथवा कनेक्शन समाप्त करने के संबंध में 15 दिनों का अंतिम नोटिस जारी करना जिसमें सेवाओं को इस प्रकार बंद करने, कनेक्शन समाप्त करने के कारणों को दर्शाया गया हो।		एलसीओ	एलसीओ द्वारा नोटिस स्वयं अथवा एमएसओ के लिखित निदेशों पर जारी किया जा सकता है।
13.	सेवा को बंद करने अथवा कनेक्शन समाप्त करने के लिए सब्सक्राइबर से अनुरोध की प्राप्ति		एलसीओ	एलसीओ तुरंत एसएमएस में जानकारी अद्यतन करेगा
14.	सब्सक्राइबर से अनुरोध प्राप्त होने पर केबल सेवाओं को बंद करना अथवा कनेक्शन समाप्त करना		एलसीओ	एलसीओ, एसएमएस के माध्यम से केबल सेवाओं को बंद करेगा
15.	निरोधात्मक रखरखाव हेतु सिग्नलों को बंद किये जाने के संबंध में सब्सक्राइबर को नोटिस		एलसीओ	एलसीओ द्वारा नोटिस स्वयं अथवा एमएसओ के लिखित निदेशों पर जारी किया जा सकता है।

16.	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के मानकों के अनुरूप उपभोक्ता शिकायतों का निपटान		एमएसओ	एलसीओ को प्राप्त शिकायतों को तुरंत वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा ताकि पक्षों द्वारा समय पर अनिवार्य उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके तथा इनकी शिकायतकर्ता द्वारा निगरानी की जा सके।
17.	सेवा की गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता की शिकायत का निपटानः– (i) 'सिग्नल नहीं है' से संबंधित; (ii) 'एसटीबी' से संबंधित; (iii) सब्सक्राइबर के बिलिंग तथा प्राप्तियों से संबंधित; (iv) कोई अन्य शिकायत।		एमसीओ का समग्र उत्तरदायित्व, एलसीओ के नेटवर्क में त्रुटियों को एलसीओ द्वारा ठीक किया जाएगा।	एलसीओ द्वारा जिन शिकायतों का समाधान किया जाएगा, उन्हें वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा
18.	उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम के उपबंधों के अनुरूप नोडल अधिकारी का पदनाम		एमएसओ	
19.	प्राधिकरण से प्राप्त शिकायतों के समाधान के बारे में सब्सक्राइबर को जानकारी		एमएसओ	
20.	सब्सक्राइबर को सिस्टम द्वारा तैयार किये गये मदवार बिल पहुंचाया जाना		एमएसओ	उन मामलों में जहां आपसी करार आधार पर प्रणाली द्वारा बिल तैयार किये जाते हैं और/अथवा एलसीओ द्वारा सब्सक्राइबर को रसीद जारी की जाती है, वहां एलसीओ तुरंत एसएमएस में जानकारी
21.	सब्सक्राइबर तक भुगतान रसीदों को पहुंचाया जाना		एमएसओ	
22.	सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने के 03 (तीन) दिनों के भीतर सब्सक्राइबरों को		एमएसओ	

	इलेक्ट्रॉनिक पावती देना			को अद्यतन करेगा।
23.	छह माह की अवधि के अंदर किसी भी अवधि के लिए प्रीपेड बिलों के मामले में सेवा के वास्तविक उपयोग को दर्शाने वाले मद–वार उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना		एमएसओ	एलसीओ को प्राप्त जानकारी को तुरंत एसएमएस में अद्यतन किया जाएगा ताकि एमएसओ समय से सब्सक्राइबर को अपेक्षित ब्यौरा उपलब्ध करवा सके।
24.	सरकार को करों का भुगतान	एमएसओ और/अथवा एलसीओ	एमएसओ और/अथवा एलसीओ	कर भुगतान उत्तरदायित्वों से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे को करार पर हस्ताक्षर किये जाने के समय संबंधित कर प्राधिकरणों के नियमों तथा विनियमों के अनुसार साथ वाले स्थान में भरे जाने की आवश्यकता है।

नोट : कॉलम (2) में उल्लिखित विभिन्न कर्तव्यों के संबंध में उत्तरदायित्वों पर दोनों पक्ष आपस में सहमत हो सकते हैं और तदनुसार कालम (3) को भरा जाए। टैरिफ आदेश में विहित विनिर्दिष्ट राजस्व सहभागिता व्यवस्था के आधार पर हस्ताक्षर किए गए करार के संबंध में पक्षों के निर्धारित उत्तरदायित्वों को उपर्युक्त कॉलम (4) में उपलब्ध कराया गया है।

11. बिलिंग

11.1 सब्सक्राइबर हेतु ________________ के नाम पर बिलिंग की जाएगी। तथापि, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू नियम तथा विनियमों का अनुपालन किया जाए।

12. एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारा तथा संबंधित अधिकार और दायित्व

12.1 एलसीओ तथा एमएसओ के बीच निम्नानुसार राजस्व निपटारा किया जाएगाः—

(क) बुनियादी सेवा टीयर, फ्री—टु—एयर तथा फ्री—टु—एयर चैनलों के बुके के चैनलों के सब्सक्रिप्शन से संग्रहित प्रभार को एमएसओ तथा एलसीओ के बीच क्रमशः ________________: ________________ अनुपात में बांटा जाएगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट चैनलों अथवा चैनलों के बुके अथवा चैनलों तथा चैनलों के बुके से संग्रहित प्रभार एमएसओ तथा एलसीओ के बीच क्रमशः ____________: ________________, अनुपात में बांटा जाएगा।

नोटः—

आपसी सहमति के आधार पर करार के मामलों के लिए एमएसओ तथा एलसीओ के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों पर कालम (3) तथा खण्ड (10) के अनुसार सहमति है, इस खण्ड में आपसी करार के आधार पर उपर्युक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है। तथापि, उन मामलों में जहां करार पर टैरिफ आदेश में यथा विहित विनिर्दिष्ट राजस्व सहभागिता करार के आधार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, एमएसओ तथा एलसीओ के उत्तरदायित्व इस करार के कालम (4) तथा खण्ड (10) के अनुरूप होंगे।

12.2 उन मामलों में जहांः—

(क) सब्सक्राइबरों को बिल जारी किए जाते हैं तथा एलसीओ द्वारा सब्सक्रिप्शन भुगतान प्राप्त किया जाता है। एमएसओ, एलसीओ को भुगतान की जाने वाली देय राशि के लिए एलसीओ को मासिक बीजक जारी करेगा तथा ऐसे बीजक में स्पष्ट रूप से वर्तमान भुगतान देय तथा बकाया, यदि कोई हो तो, का भुगतान की देय राशि के साथ उल्लेख किया जाएगा, जो कि सात दिनों से कम नहीं होगी। विवरणों/बीजकों के अनुसार बिल की गई सभी राशियों का भुगतान उसमें उल्लिखित देय राशि की तिथि अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

<u>अथवा</u>

(ख) सब्सक्राइबर को बिल जारी किए जाते हैं तथा एमएसओ द्वारा सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त की जाती है, एमएसओ, एलसीओ के साथ संपूर्ण जानकारी सांझा करेगा ताकि एलसीओ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय राशि हेतु बीजक तैयार कर सके। एमएसओ द्वारा भुगतान किए जाने वाले मासिक राजस्व के भाग के लिए एमएसओ को जारी मासिक बीजक में वर्तमान भुगतान देय राशि तथा बकाया राशि, यदि कोई हो तो, साथ ही भुगतान की देय तिथि जो कि सात दिनों से कम नहीं होनी चाहिए का स्पष्ट से उल्लेख किया जाएगा।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

12.3 उन मामलों में जहां सब्सक्राइबर से सब्सक्रिप्शन राशि वसूली नहीं गई है, एलसीओ अथवा एमएसओ जो भी सब्सक्राइबर को बिल जारी कर रहा है, वह अंतिम तिथि से तीन दिनों के अंदर अपना ब्यौरा एसएमएस में अद्यतन करेगा।

13. भुगतान में चूक

13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत एमएसओ तथा एलसीओ को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एलसीओ को अधिकार होगा कि वहः–

(i) सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;

(ii) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।

(iii) जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।

13.2 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, एलसीओ अथवा एमएसओ को उसके द्वारा भविष्य में एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, को भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर पर अतिरिक्त दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

14. वचन

14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेन्ट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, सिद्धांत दर सिद्धांत आधार पर होगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि "________________" लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''________________'' लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।

बशर्ते कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।

14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय–समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.9 दोनों पक्ष देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

15. पायरेसी की रोकथाम

15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड–एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।

15.2 किसी भी सब्सक्राइबर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वंचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वंचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

16.4 एमसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

17. शासी कानून तथा विवाद निपटान

17.1 कानून (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997) द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण, नई दिल्ली (''टीडीसेट'') के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीएसएटी के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

18. अपरिहार्य घटना

18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़–फोड़, संगरोध, महामारी, लूट–पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन–देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की

अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

19. नोटिस

19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

20. अंतरण हेतु निर्बंधन

20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विल्लंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

21. गोपनीयता

21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक–दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।

21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेन्टों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।

22. आशोधन

22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

23. बाध्यकारी प्रभाव

23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

इसके साक्षी स्वरूप पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(________________________________)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. ________________________________

2. ________________________________

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(________________________________)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. ________________________________

2. ________________________________

अनुसूची

परिभाषाएं तथा निर्वचन

क. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है:–

(क) ''एड्रेसेबल प्रणाली'' का अभिप्राय सीटीवी अधिनियम में नियत अर्थ होगा;

(ख) ''प्राधिकरण'' का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(ग) ''बुनियादी सेवा टीयर'' का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।

(घ) ''बुके'' अथवा ''चैनलों के बुके'' का अभिप्राय अलग–अलग चैनलों के संयोजन से है, जिनकी एक साथ बंडल के रूप में पेशकश की जाती है;

(ड.) ''प्रसारक'' का अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कारपोरेट निकाय अथवा कोई अन्य संगठन अथवा निकाय, जो प्रोग्रामिंग सेवा उपलब्ध करवाता है और जिसमें उसकी प्राधिकृत संवितरण एजेन्सियां शामिल हैं।

(च) ''केबल सेवाएं अथवा केबल टेलीविजन सेवाएं'' का अभिप्राय कार्यक्रमों का केबल के माध्यम से प्रसारण है, जिसमें किसी प्रसारक टेलीविजन सिग्नलों का केबल द्वारा पुनर्प्रसारण शामिल है।

(छ) ''केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क'' का अभिप्राय कोई प्रणाली है, जिसमें बंद पारेषण पथ तथा संबद्ध सिग्नल सृजन, नियंत्रण और संवितरण उपकरण शामिल हैं, जिसे बहु–सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्ति हेतु केबल सेवा उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

(ज) ''चैनल अथवा टेलीविजन चैनल'', जिसे निम्न के तहत पंजीकृत किया गया है:

(i) दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 की संख्या 1501/2/2002–टेलीविजन(I) (भाग) के माध्यम से भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देश।

(ii) दिनांक 11 नवम्बर, 2005 की संख्या 13/2/2002–बीपीएंडएल/बीसी–IV के माध्यम से जारी की गई टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश,......

समय–समय पर यथा आशोधित अथवा टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग तथा डॉऊनलिंकिंग हेतु ऐसे अन्य दिशानिर्देश, जिन्हें समय–समय पर भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और 'चैनल' शब्द के संबंध में किए गए किसी भी संदर्भ को ''चैनल अथवा टेलीविजन चैनल'' के संबंध में किया गया संदर्भ माना जाएगा।

(झ) ''सक्षम प्राधिकारी '' का अभिप्राय किसी परिनियम के तहत गठित कोई प्राधिकरण, डाक और कर प्राधिकरणों सहित कोई तत्संबंधी विभाग अथवा उप–मंडल सहित कोई न्यायालय अथवा अधिकरण;

(ञ) ''शिकायत केन्द्र'' का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा उसके संबंद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 के विनियम 3 के तहत स्थापित सुविधा से है।

(ट) ''उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम'' का अभिप्राय दिनांक 14 मई, 2012 का उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का तेरहवां) से है।

(ठ) ''सीटीवी अधिनियम'' का अभिप्राय समय–समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।

(ड) ''कूटबद्ध करना'' किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके।

(ढ) ''फ्री–टु–एयर–चैनल'' का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।

(ण) ''हार्डवेयर'' का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबद्ध पुर्जो तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारेषित चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।

(त) ''हेड–एंड'' का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलेटर, कम्प्रेशन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारेषण उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियो अथवा संबंद्ध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।

(थ) ''अंतःसंयोजन विनियम'' का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 30.04.2012 के दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 से है।

(द) ''पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)'' का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।

(ध) ''नोडल अधिकारी'' का अभिप्राय मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर अथवा उसके स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 के विनियम 8 के तहत नियुक्त अथवा पदनामित अधिकारी से है।

(न) ''पैकेज'' का अभिप्राय सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किए गये चैनल के स्वरूप से है, जोकि किसी एक चैनल अथवा बुके के रूप में हो सकता है, जिसमें सब्सक्राइबर द्वारा समय–समय पर सब्सक्राइब किए गए पे–चैनल शामिल हो सकते हैं

(प) ''पे–चैनल'' का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।

(फ) ''पायरेसी'' का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़–छाड़, उसकी सील के साथ छेड़–छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट–टॉप बाक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिर्काडिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है।

(ब) ''कार्यक्रम'' का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :–

(i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और

''प्रोग्रामिंग सेवा'' वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए।

(भ) ''सेवा की गुणवत्ता विनियम'' का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 14.05.2012 का सेवा की गुणवत्ता के मानदण्ड (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (वर्ष 2012 का बारहवां) से है।

(म) ''सेट टॉप बॉक्स अथवा एसटीबी'' का अभिप्राय ऐसे उपकरण से है, जिसे टेलीविजन से जोड़ा जाता है अथवा वह टेलीविजन का एक भाग है, जो सब्सक्राइबर को एक एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों के माध्यम से सब्सक्राइब किए गए चैनलों को कूटबद्ध तथा मिश्रित स्वरूप में प्राप्त करने में मदद करता है।

(य) ''स्मार्ट कार्ड'' का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है।

(कक) ''सब्सक्राइबर'' का अभिप्राय अंतिम दर्शक/पृथक परिवार से है, जो एलसीओ के माध्यम से केबल टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करता है।

''संदेह का निराकरण करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि एकल परिवार में सेट टॉप बॉक्स के साथ जुड़े प्रत्येक टेलीविजन सेट को एक सब्सक्राइबर कहा जाएगा।''

(खख) ''सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली अथवा एसएमएस'' का अभिप्राय एक प्रणाली अथवा उपकरण से है, जो सब्सक्राइबर के अभिलेखों तथा ब्यौरे का उसके नाम, पते तथा अन्य जानकारियां यथा सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग किये जा रहे हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किये जा रहे चैनलों के बुके, ऐसे चैनलों का मूल्य अथवा प्रणाली में यथा परिभाषित चैनलों का बुके, किसी चैनल अथवा चैनलों के बुके हेतु सक्रिय किये जाने अथवा निष्क्रिय किये जाने की तिथि तथा समय, सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड में की गई सभी कार्यवाहियों का लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर के संबंध

में तैयार किए गए बीजक तथा भुगतान की गई राशि अथवा प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में जानकारियों का भण्डारण करता है।

(गग) ''टैरिफ आदेश'' का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 जुलाई, 2010 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (वर्ष 2010 का पहला) से है।

(घघ) ''ट्रंक लाइन'' का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाईबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबंद्ध उपकरण जैसे रीसिवर नोडस्, एम्लीफॉयर, स्पिल्टिर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्त्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबंद्ध कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारेषण किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

ख. निर्वचन

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं।

(ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो।

(घ)'' माह'' के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा।

(ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो।

(च) विधि, विनियम, सांविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय–समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।